अपीलीय अधिकारी एवं संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश
चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल – 462004 (म.प्र.)

क्र. सूअप्र/ संतशि/ 10/
भोपाल दिनांक :

श्री पुरूषोत्तम सूर्यवंशी,
लोकप्रिय अस्पताल के पीछे,
रिमझिरिया शिवाजी वार्ड,
सागर– (म.प्र.)

आवेदक /अपीलार्थी

विरूद्ध

1. लोक सूचना अधिकारी,
शासकीय पोली.महा. खुरई जिला–सागर(म.प्र.)
2. लोक सूचना अधिकारी,
शासकीय पोली.महा. सागर–म.प्र.

अनावेदक/ प्रतिअपीलार्थी

प्रथम अपील सुनवाई दिनांक 30.09.2010
(श्री पुरूषोत्तम सूर्यवंशी, सागर --म.प्र)

आवेदक/अपीलार्थी अनुपस्थित।

अनावेदकगण/प्रति अपीलार्थीगण (लोक सूचना अधिकारी, प्राचार्य पोली.महा. खुरई /सागर) अनुपस्थित.

अपील के मुख्य बिंदु

आवेदक अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, प्राचार्य पोली.महा. खुरई एवं सागर को आवेदन प्रस्तुत कर कर संस्था स्तर पर विभिन्न पदों हेतु हुए साक्षात्कार से संबंधी जानकारी चाही थी । लोक सूचना अधिकारी खुरई एवं सागर ने आवेदक द्वारा चाही जानकारी में साक्षात्कार हेतु बुलाए गए उम्मीदवारों के आवेदन पत्र एवं उसमें संलग्न दस्तावेज, मौखिक साक्षात्कार में सम्मिलित उम्मीदवारों को दिए गए अंकों की प्रतिलिपि को इस आधार पर प्रदाय करने से मना कर दिया कि यह दस्तावेज उम्मीदवारों की व्यक्तिगत जानकारी हैं । लोक सूचना अधिकारी, प्राचार्य पोली.महा. खुरई एवं सागर द्वारा उपलब्ध कराई जानकारी एवं निर्णय से संतुष्ट न होने के कारण आवेदक द्वारा दो अपीलें अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत की गई हैं ।

निर्णय

1. आवेदक/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील एवं लोक सूचना अधिकारी, खुरई एवं सागर द्वारा आवेदक को उपलब्ध कराई जानकारी का मेरे द्वारा अवलोकन किया गया । अवलोकन उपरांत लोक सूचना अधिकारी, खुरई एवं सागर द्वारा की गई कार्यवाही से मैं सहमत हूं ।

..2..

2. लोक सूचना अधिकारी खुरई एवं सागर ने आवेदक द्वारा चाही जानकारी में से साक्षात्कार हेतु बुलाए गए उम्मीदवारों के आवेदन पत्र एवं उसमें संलग्न दस्तावेज, मौखिक साक्षात्कार में सम्मिलित उम्मीदवारों को दिए गए अंकों की प्रतिलिपि को इस आधार पर प्रदाय करने से मना किया गया है कि यह दस्तावेज उम्मीदवारों की व्यक्तिगत जानकारी हैं । चूंकि उम्मीदवारों द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेज व्यक्तिगत एवं गोपनीय स्वरूप के होते हैं जो उनके द्वारा वैश्वासिक स्वरूप में प्रस्तुत किए जाते हैं इसलिए सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 8 (d) एवं (e) के तहत जब तक उनका प्रकटन विस्तृत लोकहित में न हो, किसी अन्य को प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता ।

3. इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा मौखिक साक्षात्कार में सम्मिलित उम्मीदवारों को दिए गए अंकों की प्रतिलिपि चाही गई है । उक्त जानकारी भी सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 8 (g) के प्रकाश में दी जाना उचित प्रतीत नहीं होती ।

4. आवेदक द्वारा अपनी अपील में ऐसे कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे यह स्पष्ट हो कि उपरोक्त जानकारी का प्रकटन विस्तृत लोकहित में आवश्यक है ।

5. आवेदक / अपीलार्थी नियत दिनांक को अपील की सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ और न ही उसके द्वारा सुनवाई स्थगित करने / सुनवाई की तिथि के परिवर्तन संबंधी किसी तरह का अनुरोध ही किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि आवेदक सूचना प्राप्त करने हेतु गंभीर नहीं है ।

6. उपरोक्त समग्र तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत दोनों अपील निरस्त की जाती है ।

7. उपरोक्त से असंतुष्ट होने की स्थिति में अपीलार्थी द्वारा अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि में निम्नानुसार अपील की जा सकती है।

द्वितीय अपील	समय–सीमा
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल–462011(म.प्र.)	विनिश्चय की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर

(आशीष डोंगरे)
अपीलीय अधिकारी एवं संचालक
संचालनालय तकनीकी शिक्षा,
भोपाल–म.प्र.

पृष्ठा. क्र. सूअप्र/संतशि/10/547 भोपाल दिनांक 30/9/10 8/10/10

प्रतिलिपि : निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :–

1. श्री पुरूषोत्तम सूर्यवंशी, लोकप्रिय अस्पताल के पीछे, रिमझिरिया शिवाजी वार्ड, सागर– (म.प्र.)
2. लोक सूचना अधिकारी, शासकीय पोलीटेक्निक महा. खुरई, जिला– सागर(म.प्र.)।
3. लोक सूचना अधिकारी, शासकीय पोलीटेक्निक महा. सागर–म.प्र. ।
3. वरिष्ठ निज सहायक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, म.प्र. भोपाल ।
4. श्री देवेंद्र मालवीय, स्टेनोग्राफर, तकनीकी शिक्षा, भोपाल ।
5. कम्प्यूटर शाखा, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, म.प्र. भोपाल

(आशीष डोंगरे)
अपीलीय अधिकारी एवं संचालक
संचालनालय तकनीकी शिक्षा,
भोपाल–म.प्र.